न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4015–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–3–2014 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक देवास मध्यप्रदेश, देवास, प्रकरण कमांक 22/बी–103/2011–12

मैसर्स शिवशक्ति लेण्ड एण्ड फायनेन्स
54, शालिनी रोड देवास तर्फे भागीदार राकेशकुमार
पिता रमेश कुमार अग्रवाल निवासी 54 शालिनी रोड,
देवास म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर (स्टाम्प)
जिला देवास म0प्र0

.....अनावेदक

श्री एम0एल0माथुर, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/7/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी मध्यप्रदेश भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56(4) के अंतर्गत वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला देवास के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–3–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा आयुक्त नगर पालिक निगम, देवास के पक्ष में भूखण्ड प्रत्याभूत किये जाकर विकास राशि रुपये 1,00,000/– दर्शाते हुये रुपये 5,010/– एवं पंजीयन राशि रुपये 945/– अदा किया गया । महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा निरीक्षण टीप 2009–10 में उक्त दस्तावेज पर कम मुद्रांक शुल्क अदा किये जाने संबंधी आपत्ति लिये जाने पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 22/बी–103/11–12 दर्ज कर दिनांक 20–3–2014 को आदेश पारित किया जाकर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की गणना करते हुये रुपये 2,55,190/– जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा दस्तावेज के शीर्षक के आधार पर मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है, क्योंकि दस्तावेज की विषयवस्तु के आधार पर मुद्रांक शुल्क अधिरोपित किया जा सकता है, न कि शीर्षक के आधार पर । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से रुपये 1,00,000/– विकास राशि के विरूद्ध भूखण्ड बंधक रखे गये हैं, इससे स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन दस्तावेज प्रतिभूति बंधक पत्र है, जिस पर आवेदक द्वारा पर्याप्त मुद्रांक शुल्क अदा किया गया है, परन्तु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विचार नहीं कर आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । उनके द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक कॉलोनाईजर द्वारा प्रतिभूति बंधक पत्र में प्रत्याभूत राशि रुपये 1,00,000/– दर्शाई जाकर प्रतिभूति बंधक पत्र का पंजीयन कराया गया है, जबकि नगर निगम में विकास व्यय रुपये 45,00,000/– अत्यधिक राशि दर्शाकर विकास प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, स्पष्ट है कि आवेदक को 45,00,000/– की राशि पर मुद्रांक शुल्क अदा करना चाहिये था। अतः

उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा रुपये 2,55,190/– मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की राशि जमा कराने के आदेश देने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला देवास के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–3–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर